राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 13 (1)( )DWE/SHG/RKCL/13-14 37918 दिनांक 19-12-14

महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण योजना

परिपत्र

उद्देश्य–

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में कम्प्यूटर मनुष्य की महती आवश्यकता बन चुका है, इससे समय–समय पर समस्त आवश्यक कार्य सुगमता व शीघ्रता से संपन्न होते हैं। दैनिक जीवन के अधिकतर कार्य कम्प्यूटर द्वारा किये जा रहे हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी महिलाओं को दिलवाया जाना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में महिलाओं को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं कार्य शैली से अवगत कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

परिचय–

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011–12 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गो की महिलाओं यथा गृहणी, किशोरी बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य, कॉलेज छात्राएं तथा बीपीएल व अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिसका समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

पाठ्यक्रम–

योजना के अंतर्गत निम्न दो प्रकार के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है–

1. RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी)–

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16–40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

2. डिजिटल सहेली'–"Elementary Computer Education for Women (ECEW)"

- प्रशिक्षण 50 घंटे (1 माह) की अवधि का होगा।
- 16–40 वर्ष तक की आयु वर्ग की 5वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

आवेदन प्रक्रिया–

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा किसी एक कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। प्रशिक्षणार्थी अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड कर सकते है अथवा आपके क्षेत्र में RKCL द्वारा संचालित आई.टी.ज्ञान केन्द्र/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (पंचायत समिति) से प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्र को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधित प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक अपने क्षेत्र के RKCL द्वारा संचालित आई.टी.ज्ञान केन्द्र/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (पंचायत समिति) पर ऑनलाइन भरवाकर रसीद प्राप्त करें।

योजना की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in एवं IT ज्ञान केंद्रों की जानकारी RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

चयन प्रक्रिया–

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर जिला स्तर पर गठित निम्न समिति .द्वारा निदेशालय से जिलेवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी का ऑन लाईन चयन किया जावेगा –

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग

कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता

प्रभारी, जिला अग्रणी केंद्र, RKCL .

निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में निम्नलिखित वरीयता से प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा–

1 महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य
2 किशोरी बालिका मंडल सदस्य
3 **उक्त दोनों श्रेणियों में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जावेगी।**

प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन IT ज्ञान केंद्रवार चयन होने पर प्रशिक्षणार्थी को सूचित करने एवं प्रशिक्षण हेतु अग्रिम कार्यवाही RKCL द्वारा की जाएगी।

प्रशिक्षण–

जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के द्वारा निर्धारित विभिन्न IT ज्ञान केंद्रों पर उनके द्वारा चाहे गये कोर्स के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में भाग लेना होगा। RSCIT कोर्स हेतु परीक्षा उपरांत वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा तथा डिजीटल सहेली कोर्स में राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

भुगतान–

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. को प्रशिक्षण की इच्छुक महिला के नामांकन के पश्चात प्रशिक्षणार्थी कोड जारी होने पर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शुल्क 'राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी' प्रशिक्षण हेतु रू 2700 प्रति संभागी व

'डिजिटल सहेली' प्रशिक्षण हेतु रू 1100 प्रति संभागी की 50% राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकिया से शेष 50% राशि का भुगतान प्रशिक्षणार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा प्रशिक्षणार्थियों को उर्तीण होने का प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पश्चात् कियां जाएगा।

RKCL प्रशिक्षणार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण जिला स्तर से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा करवाकर बिल के साथ प्रस्तुत करेगा।

संलग्न–आवेदन पत्र एवं सामान्य निर्देश

(डॉ. पृथ्वी)
निदेशक
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 13 (1)( )DWE/SHG/RKCL/13-14 37864-78 दिनांक 10-12-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर
6. जिला कलक्टर, समस्त
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
8. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर
9. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि. (RKCL), झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
11. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता
12. कार्यक्रम निदेशक, RRTC जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर।
13. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले
14. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता समस्त जिले
15. प्रोग्रमर मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

अतिरिक्त निदेशक (SHG)

–आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश–

पाठ्यक्रम–

1- राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी (RS-CIT)-

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16–40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

2.'डिजिटल सहेली' "Elementary Computer Education for Women (ECEW)"-

- प्रशिक्षण 50 घंटे (1 माह) की अवधि का होगा।
- 16-40 वर्ष तक की आयु वर्ग की 5वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

आवेदन प्रक्रिया–

- **दोनों प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र एवं पूर्ण प्रशिक्षण निशुल्क है, इनके लिए कोई भी फीस देय नहीं होगी।**
- प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा किसी एक कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा।
- प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा किसी एक कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। प्रशिक्षणार्थी अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड कर सकते है अथवा आपके क्षेत्र में RKCL द्वारा संचालित आई.टी.ज्ञान केन्द्र/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (पंचायत समिति) से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधित प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक अपने क्षेत्र के RKCL द्वारा संचालित आई.टी.ज्ञान केन्द्र/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (पंचायत समिति) पर ऑनलाइन भरवाकर रसीद प्राप्त करें। आवेदक अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता की अंक तालिका अवश्य लगायें।

योजना की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in एवं IT ज्ञान केंद्रों की जानकारी RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

Rajasthan Knowledge Corporation Limited

महिलाएवंबालविकासविभाग, राजस्थानसरकार

निःशुल्ककंप्यूटरप्रशिक्षणकार्यक्रम2014-15 (निःशुल्कफॉर्म)

प्रशिक्षण केन्द्र कोड :.................................. प्रशिक्षण केन्द्र का नाम :..

प्रशिक्षण कार्यक्रमः डिजिटल सहेली/आरएस–सीआईटी (महिला)(कोई एक चुने)

प्रशिक्षणार्थी का नामः प्रथम नाम.. मध्यम नाम..................................... अन्तिम नाम...

पिता का नामः... माता का नामः...

Photograph

महिला श्रेणी :☐स्वयं सहायता समूह☐किशोरी बालिका मण्डल☐अन्य

जन्म तिथि :(दिन/महिना/वर्ष) :..

वैवाहिक स्थितिः :☐अविवाहित☐विवाहित☐तलाकशुदा ☐विधवा

मोबाइल नंबरः.. ई–मेल आई.डी.:...

स्थायी पता : घर/गली/मौहल्लाः.. शहर/कस्बा/गॉवः..

तहसील :..जिलाः... पिन कोडः...

आरक्षण श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डाले)
☐सामान्य
☐अनुसूचित जाति
☐अनुसूचित जनजातिः जनजाति उपयोजना (टीएसपी) : तहसीलः.. जिलाः..
गैर–जनजाति उपयोजना (नॉन–टीएसपी)(माडा अथवा बिखरी)
सहरिया
☐अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमी लेयर)
☐विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमी लेयर)

जति :... धर्म :☐ हिन्दू☐मुस्लिम☐ सिक्ख ☐ इसाई ☐ जैन ☐पारसी ☐अन्य

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	प्रतिशत	पास करने का महिना एवं वर्ष
पांचवी (डिजिटल सहेली हेतु अनिवार्य)			
दसवी (आरएस–सीआईटी हेतु अनिवार्य)			
बाहरवी			
डिप्लोमा			
डिग्री			
स्नातकोत्तर			

आवश्यक दस्तावेज (आवेदन के साथ लगाएं):

1.योग्यता अंकतालिका (पांचवी अथवा दसवी जो भी लागू हो)
2.दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र (आयु प्रमाण–पत्र)
3.जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)

घोषणा :
1.मैं उद्घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाऐं मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है।
2.मैंने इस योजना के अन्तर्गत किसी अन्य आईटी ज्ञान केन्द्र पर आवेदन नहीं किया है।
3. मैं पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे इस या इस प्रकार के कोर्स या योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हुई हूँ।

स्थान :...

दिनांकः...